कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशॉक–वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/ 1001 /2024, लखनऊ ::दिनांक 04.09. 2024

संशोधित आदेश

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ अलीगढ़ ने पत्र सं0 210/2024 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अवगत कराया है कि उन्होंने दिनांक 21.08.2024 की पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ अलीगढ़ द्वारा प्रेषित उक्त पत्र दिनांकित 28.08.2024 के अनुक्रम में, मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेश सं0 866/2024 दिनांक 02.08.2024 द्वारा अलीगढ़ के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 23.09.2024 से 25.09.2024 तक पूर्व गठित युगल पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त अवधि में न्यायिक सदस्य पीठ गोरखपुर के स्थान पर न्यायिक सदस्य, पीठ अलीगढ एवं सदस्य पीठ–4 कानपुर की युगल पीठ गठित की जाती है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/– 04.09..2024
(रणधीर सिंह)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक ::यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–गोरखपुर एवं अलीगढ।
2– सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–4, कानपुर।
3– मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेव अधिकारी मुख्यालय।
4– संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

निबंधक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।